भ्रूण परीक्षण ▶ एमएम सोनाग्राफी सेंटर का मामला, बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था क्लीनिक

रजिस्टर में डॉ . खरे के निकले अधिक मरीज

सीएमएचओ के नोटिस के बाद भी नहीं दी जा रही जानकारी

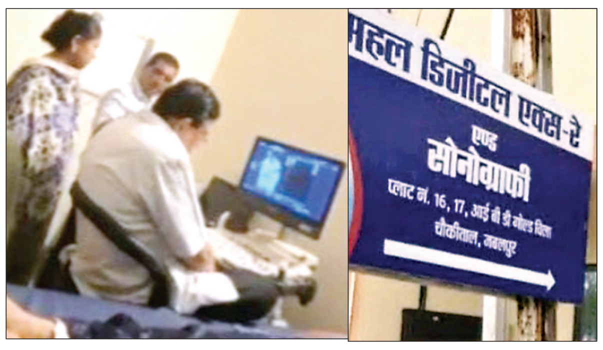

नवभारत,जबलपुर। भ्रूण परीक्षण की शिकायत मिलने पर लम्हेटाघाट, चौकीताल स्थित एमएम एक्सरे, सोनाग्राफी सेंटर को सील करने के बाद स्वास्थ्य विभाग की जांच में गुप्तेश्वर स्थित डॉ. केके खरे नामक डॉक्टर का नाम सामने आया है। चौकीताल के सोनोग्राफी सेंटर के रजिस्टर में ऐसे कई मरीजों के नाम मिले हैं जिनके सामने डॉ. खरे का नाम लिखा हुआ है। जानकारी के अनुसार डॉ. खरे का नाम सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुप्तेश्वर स्थित उनके क्लीनिक में दबिश दी तो वहां डॉक्टर तो नहीं मिलीं लेकिन उनका क्लीनिक अवैध निकला.. वजह इस क्लीनिक का रजिस्ट्रेशन नहीं था।

सीएमएचओ डॉ. संजय मिश्रा के संज्ञान में मामला आते ही डॉ. खरे को नोटिस जारी कर जानकारी मांगी गई है कि उन्होंने जिन मरीजों को सोनाग्राफी के लिए चौकीताल के सेंटर में भेजा था उनकी डिलेवरी के बाद कितनों को लड़का और कितनों को लड़की पैदा हुई है। सीएमएचओ ने शंका जाहिर की है मामला भ्रूण परीक्षण से संबंधित हो सकता है इसलिए हर पहलु पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा डॉक्टर को 3 हफ्ते का समय दिया जाता है कि वह अपना जवाब पेश कर दे इस बीच नोटिस की संख्या 3 बार भी हो सकती है। अभी तक डॉ. खरे को दो बार नोटिस जारी हो चुके हैं लेकिन जवाब सामने नहीं आया है। तय समय के बाद भी अगर जवाब नहीं आता है तो संबंधित डॉक्टर का क्लीनिक का रजिस्ट्रेशन हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा और डॉक्टर के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

रडार पर संदिग्ध

स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन की रडार पर अब वे अन्य डॉक्टर्स व क्लीनिक हैं जिनके तार इस सोनोग्राफी सेंटर से जुड़े हुए हैं। अभी करीब 4 डॉक्टर्स के नाम इस सेंटर से जुड़े हुए सामने आए है क्योंकि इन डॉक्टर्स के मरीज चौकीताल के सोनोग्राफी सेंटर में पहुंचे थे। हालांकि डॉक्टर्स की पर्ची में ये तो स्पष्ट नहीं लिखा है कि सोनोग्राफी सिर्फ चौकीताल के सेंटर से कराई जाए लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग हर एंगल पर पतासाजी में जुटा हुआ है। गौरतलब है कि विगत 1 नंवबर को शिकायत मिलने के बाद शासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा लम्हेटाघाट चौकीताल स्थित एमएम एक्सरे एंड सोनोग्राफी सेंटर पर छापा मारा गया था जहां पाया गया था कि बिना लाइसेंस और अयोग्य स्टाफ के साथ मोटी रकम लेकर मरीजों का भ्रूण परीक्षण किया जा रहा था। इस दौरान सेंटर के संचालक डॉ. हेमलेश चंद्र दुबे को हिरासत में लेकर सेंटर को सील कर दिया था और और पूछताछ शुरू की गई थी।

सांसद अभिषेक की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक

जबलपुर। हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने एमपी-एमएलए कोर्ट भोपाल के द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है। एकलपीठ ने अनावेदक को नोटिस जारी करते हुए याचिका पर अगली सुनवाई 8 दिसम्बर को निर्धारित की है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी के भतीजे व तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी ने साल नवंबर 2020 में कोलकाता में आयोजित सभा में भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र आकाश विजयवर्गीय को एक सभा में गुंडा कहा था। जिसके बाद आकाश विजयवर्गीय ने एमपी-एमएलए कोर्ट भोपाल में उनके खिलाफ मानहानि का प्रकरण दायर किया था। एमपी-एमएलए कोर्ट ने सांसद अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किये थे। एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट को निरस्त किये जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिकाकर्ता सांसद अभिषेक बैनर्जी की तरफ से तर्क दिया गया कि वह वर्तमान को सासंद है और उनके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने एमपी-एमएलए को कोर्ट ने व्यक्तिगत उपस्थित से राहत प्रदान करने आवेदन प्रस्तुत किया गया था। एमपी-एमएलए कोर्ट ने आवेदन पर विचार नहीं करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। एकलपीठ ने 12 नवम्बर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखने के आदेश जारी किये थे। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे तथा मनन अग्रवाल ने पैरवी की।

विद्युत वितरण कंपनी में लोकपाल की नियुक्ति प्रक्रिया में अधिवक्ता को शामिल किया जाये

मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी में लोकपाल की नियुक्ति के विज्ञापन को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गयी थी। याचिका में कहा गया था कि विज्ञापन में अधिवक्ताओं को इस पद के योग्य नहीं माना है। हाईकोर्ट जस्टिस एम एस भट्टी की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता अधिवक्ता को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश जारी किये है। एकलपीठ ने कहा है कि याचिकाकर्ता की भागीदारियां याचिका के अंतिम आदेश के अधीन रहेगी। इसके अलावा याचिकाकर्ता के परिणाम सार्वजनिक नहीं करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाये। टीकमगढ़ निवासी अधिवक्ता कृष्णकांत खरे की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि मध्य मध्य प्रदेश विद्युत कंपनी में लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा 9 अक्टूबर 2025 को विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन में शामिल शर्त मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु प्रपत्र एवं विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम, 2021 के खंड 4.3 के विपरीत है। एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए अनावेदको को नोटिस जारी करते हुए उक्त आदेश जारी किये। याचिका पर अगली सुनवाई 28 नवम्बर को निर्धारित की गयी है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पैरवी की।

फुहारा से लेकर धनवंतरी चौक, गढ़ा तक हटाए गए अवैध कब्जे

▶ **निगमायुक्त की पहल, स्थाई, अस्थाई कब्जों के खिलाफ चल रहा है अभियान**

नवभारत,जबलपुर। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर सोमवार को सुपर मार्केट से होते हुए लार्डगंज थाना के पास, बड़ा फुहारा, ग़ल्ला मंडी से पड़ाव, बड़ा फुहारा से कमानिया, विजय कट पीस, अंधेर देव, गंजीपुरा तक की सड़क के आसपास अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई। साथ ही धनवंतरी चौक से अतिक्रमण हटाये गए, गढ़ा थाने के पास खटवानी शोरूम के पास अवैध पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को हटाने और चालान की कार्रवाई की गयी।

कार्रवाई के संबंध में अपर आयुक्त अरविन्द शाह, अतिक्रमण अधिकारी मनीष तड़से एवं सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी अखिलेश सिंह भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार को सुपर मार्केट से होते हुए लार्डगंज थाना के पास, बड़ा फुहारा, ग़ल्ला मंडी से पड़ाव, बड़ा फुहारा से कमानिया, विजय कटपीस, अंधेर देव, गंजीपुरा तक फुटपाथ पर लगे स्थाई एवं अस्थाई अतिक्रमणों को हटाया गया। साथ ही इन इलाकों में वर्षों से सड़क किनारे जमे चाय पान के टपरों को भी जप्त करने की कार्रवाई के साथ-साथ विद्युत पोलों और सड़क किनारे की जालियों में लगे पुराने फटे बैनर पोस्टरों को भी निकालने की कार्रवाई की गयी। कार्रवाई के दौरान मौके पर दलप्रभारी जोसफ प्रवीण, लक्ष्मण कोरी, दुर्गा राव, अंकित पारस, वीरेन्द्र मिश्रा, कुलदीप त्रिपाठी, अभिषेक समुद्रे, ब्रज किशोर तिवारी, नदीम अहमद खान और सहायक दल प्रभारी आरिफ अहमद खान, शुभम खरे मौके पर मौजूद रहे।

साइबर ठग ने खाते से उड़ाए 2 लाख

जबलपुर। विजयनगर निवासी एक बुजुर्ग के खाते से साइबर ठग ने 1 लाख 98 हजार 117 रूपये उड़ा लिए। पुलिस ने रिपोर्ट पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि प्रदीप दुबे 65 वर्ष निवासी अग्रसेन मंडपम विजयनगर ने लिखित शिकायत की कि उसे व्हाटसएप के माध्यम से कॉल आया जिसने उसे क्रेडिट कार्ड के ऑफर की जानकारी दी एवं उसे प्रलोभन भरे मैसेज करने लगा, उसने मैसेजों का कोई जबाब नहीं दिया था, इसके बाद उसने अपने मोबाइल का मैसेज देखा उसके क्रेडिट कार्ड से 99 हजार 7 रूपये कटने का मैसेज आया जो उसके एसबीआई क्रेडिट कार्ड का है, उसके बाद पुनः उसके क्रेडिट कार्ड से 99 हजार 7 रूपये कटने का मैसेज आया उसके कुछ देर बाद पता चला कि अन्य एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड से 49 हजार 503 रूपये एवं चार बार 49 हजार 503 रूपये एवं 102 रूपये इस तरह कुल 1 लाख 98 हजार 117 रूपये का गबन किया गया है।

गला दबाने के बाद ईंट से सिर पर वार कर किया था महिला का कत्ल

मर्ग जांच के बाद हत्या का मामला दर्ज, नहीं हो पाई मृतक और हमलावर की पहचान

जबलपुर। पनागर थाना अंतर्गत नरगवां में रविवार को एक महिला का शव संदिग्ध हालत में खून से सना हुआ मिला था। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट और मर्ग जांच के बाद भी हुई विवेचना के बाद खुलासा हुआ कि गला दबाने के बाद ईट से सिर में वार कर महिला का कत्ल कर दिया था। मर्ग जांच के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है लेकिन अब तक ना तो मृतक की पहचान हो पाई न हमलावर का पता चल सका है। पुलिस के मुताबिक रामकृपाल दाहिया 50 वर्ष निवासी ग्राम नरगवां ने बताया कि वह ग्राम कोटवार है। सोमवार को सुबह लगभग 8 बजे गांव की सीता बाई बताई कि रतन रजक के खेत तरफ शौच करने गई थी रतन रजक के खेत के चिमनी भट्टे में एक महिला का शव पड़ा था। सिर में चोट के निशान हैं। सूचना पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। सूचना पर नगर पुलिस अधीक्षक अधारताल सुश्री राजेश्वरी कौरव एवं एफएसएल अधिकारी डॉक्टर नीता जैन मौके पर पहुंचे थे।वरिष्ठ अधिकारियों एवं एफएसएल टीम की उपस्थति में पंचनामा कार्यवाही कर शव को पीएम के लिए भिजवाते हुये मर्ग कायम कर जॉच में लिया गया था।

शिनाख्तगी के लिए खंगाल रहे गुमशुदगी रिकॉर्ड

जांच में यह बात सामने आई थी गला दबाने के बाद ईट से सिर में वार कर महिला की हत्या की गई थी । पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है लेकिन मृतिका कौन है और कहां की रहने वाली है इसका पता नहीं चल सका है पुलिस शिनाख्तगी के प्रयास कर रही है। साथ ही हर एंगल पर जांच कर रही है। शिनाख्तगी के लिए थानों में दर्ज गुमशुदगी रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है।

रेप की शंका पर भी जांच

सुश्री राजेश्वरी कौरव,नगर पुलिस अधीक्षक अधारताल ने बताया कि महिला की साड़ी से गला दबाने के बाद ईट से हमला कर हत्या की गई थी ?। अज्ञात केखिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है शिनाख्त के प्रयास जारी हैं। रेप की भी आशंका है जिसकी जांच चल रही है जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

श्रीधाम एक्सप्रेस में विस्फोटक की खबर निकली झूठी

जबलपुर, नवभारत। जबलपुर से निजामुद्दीन की ओर जाने वाली श्रीधाम एक्सप्रेस में बम रखे होने की सूचना पर सुरक्षा बलों ने ट्रेन को झांसी के बाद आगरा कैंट स्टेशन पर रोककर चेक किया। इस दौरान जनरल कोच में यात्रियों के सामान की जांच की गई। दस मिनट तक तलाशी के बाद भी कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। जिसके बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया गया। सूत्रों की मानें तो इस मामले में थाना जीआरपी ने आगरा कैंट में जीरो एफआईआर दर्ज की है, जिसके बाद इसे भोपाल जीआरपी को ट्रांसफर कर दिया गया था। बाद में स्टेशन परिसर पर भी तलाशी अभियान चलाया गया था। रेल सूत्रो से मिली जानकारी अनुसार ये मामला शनिवार रात्रि का बताया जा रहा है। बताया जा रहा हैं कि भोपाल स्टेशन पर फोन करके जानकारी दी गई कि श्रीधाम एक्सप्रेस के पीछे वाले जनरल कोच में विस्फोटक रखा हुआ है। इस जानकारी पर अलग-अलग स्टेशन पर रोककर चेक किया गया। रविवार सुबह 9 बजे ट्रेन आगरा कैंट स्टेशन पर पहुंची थी। इस पर जीआरपी-आरपीएफ के कर्मचारियों ने जनरल कोच की तलाशी ली।

सघन जाँच की गई

जानकरों की मानें तो जीआरपी आरपीएफ के साथ बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड भी मौजूद था, मगर उसमें कुछ भी नहीं मिला। 10 मिनट बाद ट्रेन को रवाना किया गया। यहां के बाद मथुरा में भी तलाशी ली गई। मालूम हो कि दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद प्रदेश में हाई अलर्ट है। इस बीच ट्रेन में विस्फोटक रखा होने की सूचना दी गई थी। सीओ जीआरपी राजेश दीक्षित ने बताया कि किसी ने भोपाल स्टेशन पर फोन करके सूचना दी थी। फोन करने वाले ने कहा था कि वह श्रीधाम एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच में बैठा है। इस गाड़ी में बम रखा है। झांसी पहुंचने पर ट्रेन की चेकिंग की गई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला।

नवीन मंडी में 21 से होगा मटर का कारोबार

▶ **सड़क, बिजली और अन्य सुविधाओं के साथ पूरी तैयारी**

नवभारत, जबलपुर। कटंगी बायपास के नजदीक पर मटर के कारोबार के लिए तैयार की गई नवीन मंडी में 21 नवम्बर से मटर का कारोबार शुरू होगा, फिलहाल यहां दुकानें बन नहीं पाईं हैं, लेकिन सड़क, बिजली, पानी और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। सचिव आर के सैय्यम ने बताया कि विगत दिनों मंडी प्रशासन ने किसानों और व्यापारियों के साथ मिलकर नई मंडी का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष व्यापारियों और किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सड़क, पानी, बिजली और सुरक्षा जैसे इंतजाम विशेष रूप से किए गए हैं। दुकानों के निर्माण में अभी कुछ समय लगेगा, लेकिन कारोबार करने के लिए आवश्यक इंतजाम पूरी तरह से तैयार हैं।

136 का टेंडर जारी, 119 ने ले ली दुकानें

थोक सब्जी-फल विक्रेता कल्याण समिति के अध्यक्ष मो. साबिर उस्मानी ने बताया कि नवीन मटर मंडी में 136 दुकानों का टेंडर जारी हुआ था, जिसमें से 119 दुकानों का टेंडर खुल गया है और व्यापारियों ने दुकानें ले भी ली है। इसके अलावा जिन व्यापारियों को दुकान नहीं मिल पाई है उन्हें अस्थाई दुकान आवंटन करने की घोषणा की की जा चुकी है, बाद में उन्हें स्थाई दुकानें ले सकते हैं।

सीट पर बेहोश मिला यात्री उपचार कर बचाई जान

जबलपुर, नवभारत। वेरावल से जबलपुर के बीच चलने वाली सोमनाथ एक्सप्रेस के जनरल कोच में उस समय हड़कंप मच गया जब एक यात्री अपनी सीट पर बेहोशी की अवस्था में मिला। सूत्रो ने बताया कि सोमवार दोपहर को सोमनाथ एक्सप्रेस ट्रेन के नरसिंहपुर पहुंचते ही अन्य यात्रियों की नज़र बेहोश पड़े यात्री पर पड़ी जिसके बाद मुसाफिरों द्वारा रेलवे के डा. आरआर कुर्रे को बुलाया गया, जिन्होने बेहोशी की हालत में पड़े युवक का उपचार किया। होश में आने के बाद भी यात्री अपना नाम नहीं बता पा रहा था। चिकित्सीय देखभाल के बाद यात्री की स्थिति सामान्य हो गई। जिसके बाद उसे आगे की यात्रा जारी रखने की अनुमति दी गई। रेलवे कर्मियों और चिकित्सा टीम की त्वरित कार्रवाई से एक संभावित दुर्घटना टल गई।

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर अधिकारी स्वत: संज्ञान लें: निगमायुक्त

नवभारत,जबलपुर। सी.एम. हैल्प लाइन के प्रकरणों की समीक्षा निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के द्वारा की गयी। समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी विभागीय प्रमुखों को निगमायुक्त ने निर्देशित किया कि सी.एम. हेल्प लाइन के प्रकरणों पर सभी अधिकारी स्वत: संज्ञान लें और शिकायतों का अध्ययन कर संतुष्टि के साथ उसका निराकरण कराएँ तथा उसका पालन प्रतिवेदन आयुक्त कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रेषित करें। साथ ही निगमायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि जो रोटीन के कार्य चल रहे हैं, उसको बिना प्रभावित किये हुए सी.एम. हेल्प लाइन के प्रकरणों को सर्वोच्य प्राथमिकता देकर कार्यवाही सुनिश्चित करें। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने 100 प्रतिशत संतुष्टि के साथ निराकरण कराने के निर्देश दिए ताकि ग्रेडिंग बेहतर हो सके।

समझौता नहीं करने पर बदमाशों ने मचाया उपद्रव

जबलपुर। रांझी थाना क्षेत्र में चाकूबाजी के केस में समझौता नहीं करने पर बदमाशों ने उपद्रव मचाते हुए दो भाइयों से मारपीट कर धमकाते हुए घर, वाहनों में तोड़फोड़ कर दी।पुलिस ने बताया कि दिव्यांशू सिंह निवासी बिलपुरा कालोनी रांझी ने सोमवार को रिपोर्ट दर्ज कराई कि वर्ष 2019-2020 में आदित्य रजक के व्दारा उसे चाकू मारा गया था जिसका केस कोर्ट मे चल रहा है। भाई हिमांशू सिंह मढई गुटखा लेने के लिये मढई गुप्ता होटल के पास गया था उसका दोस्त पिंटू कुमार ने फोन लगाकर बताया की हिमांशू के साथ आदित्य रजक, करन , अमन उर्फ विनोद बेन शुभम दुबे वाद विवाद कर मारपीट कर रहे तो वह मढई गुप्ता होटल के पास जाकर देखा तो सभी युवक उसके भाई के साथ पुराने केस को कोर्ट से वापस लेने एवं आपसी समझौता करने की बात को लेकर विवाद कर रहे थे तो उसने व भाई ने केस वापस लेने से मना किये तो सभी एक राय होकर मारपीट कर दी। सभी जान से मारने की धमकी देकर भाग गये ।उसके बाद अदित्य एवं उसके सभी साथी लोग घर जाकर घर अन्दर घुसकर तोड़फोड़ कर फरार हो गये।